न्यायालय : अवर न्यायाधीश, अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 110/2019
सीआइएस 110.19

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 03.02.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में वादी की तरफ से एक आवेदन हाल सर्वे खाता सं0 64 का हाल सर्वे खतियान की सच्ची प्रतिलिपि न्यायालय में दाखिल की गयी। जो लोक दस्तावेज हैं जिसका प्रदर्श अंकित होना आवश्यक है। अतः दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

मामले में वाद एक पक्षीय साक्ष्य पर निर्धारित है । प्रतिवादी की तरफ से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

उपस्थित पक्ष के बहस को सुना। समस्त तथ्यों का अवलोकन किया । वादी के द्वारा प्रस्तुत सर्वे खाता सं0 64 का खतियान की सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि लोक दस्तावेज है । अतः न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी के प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श 1के रूप में अंकित किया जाता है। वाद दिनांक वास्ते साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)